



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122025-268866
CG-DL-E-29122025-268866

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5810]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947

No. 5810]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSAH 3, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6009(अ).—भारत सरकार को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइप लाईन(जे एचबीडीपी एल) और स्पर पाईप लाईन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल(इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइप लाईन बिछाई जानी चाहिए।

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइप लाइन (जे०एच०बी०डी०पी०एल०) एवम स्पर पाइप लाइन प्रोजेक्ट						
दुर्गापुर-हल्दिया, सेक्सन— 3 बी						
अनुसूची						
राज्य —पश्चिमबंगाल						
जिला	ब्लॉक	मौजा	थाना नं.	नक्शा	सर्व नं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
हावरा	बागनान—1	मुरगाबेरीया	55	आर.एस.	1592	0 03 40
						1466 0 00 23
						1467 0 04 63
						1468 0 05 70
						1585 0 03 31
						1584 0 01 19
						1568 0 04 19
						1567 0 03 36
						1566 0 00 97

[फा. सं. एल.-14014/78/2022-जी.पी.-II (ई-42405)]

रामजी लाल मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, 24th December, 2025

S.O. 6009(E).— Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through **Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline**, in the State of **West Bengal**, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

JAGDISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA PIPELINE (JHBDPL) & SPUR PIPELINE PROJECT								
DURGAPUR - HALDIA, SECTION -3B								
SCHEDULE								
STATE: WEST BENGAL								
District	Block	Mouza	J.L. No.	Map	Survey No.	Area		
						Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7		
Howrah	Bagnan-1	Murgaberia	55	RS	1592	0	03	40
					1466	0	00	23
					1467	0	04	63
					1468	0	05	70
					1585	0	03	31
					1584	0	01	19
					1568	0	04	19
					1567	0	03	36
					1566	0	00	97

[F.No. L- 14014/78 /2022-GP-II(E-42405)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.